TABLE

Sl. No.	Chapter, Heading, Sub- heading or Tariff item	Description of Goods		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	87	Motor Vehicles	3	
2.	87	Motor Vehicles	J TI	

- 2. Provided that nothing contained in this notification shall apply on or after1st July, 2020.
- Explanation For the purposes of this notification, -
- (i) "Tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	Condition					
	The Motor Vehicles was purchased by the lesser prior to 1 st July, 2017 and supplied on lease before 1 st July, 2017					
2.	 i. The supplier of Motor Vehicle is a registered person. ii. Such supplier had purchased the Motor Vehicle prior to 1st July, 2017 and has not availed input tax credit of central excise duty, Value Added Tax or any other taxes paid on such vehicles 					

[F. No. 354/117/2017-TRU (Pt. III)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सं. 7/2017- प्रतिकर उपकर (दर)

सा.का.नि. 1297(अ).—प्रतिकर उपकर अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतत द्वारा, उन वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर, जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के तत्संबंधी प्रविष्टि के टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, में निर्दिष्ट के अनुसार स्तंभ (2) में संबंधित प्रविष्टि, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में प्रतिकर उपकर की दर तथा स्तंभ (5) में निर्दिष्ट शर्त के अधीन हों, को अधिसूचित करती है, यथा:-

तालिका

豖.	अध्याय, शीर्ष,	माल का	दर	शर्त सं.
सं.	उपशीर्ष, या टैरिफ मद	विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8702, 8703	मोटर	अधिसूचना सं0 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), तारीख 28 जून, 2017,	1
		व्हीकल	जिसे सा.का. नि. 720(अ), तारीख 28 जून, 2017, के तहत भारत के	
			राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया	
			था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू प्रतिकर उपकर का 65%	
2	8702, 8703	मोटर	अधिसूचना सं0 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर), तारीख 28 जून, 2017,	2
		व्हीकल	जिसे सा.का. नि. 720(अ), तारीख 28 जून, 2017, के तहत भारत के	
			राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया	
			था, के अंतर्गत, ऐसे माल पर लागू प्रतिकर उपकर का 65%	

- 2. बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात 1 जुलाई 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी। स्पष्टीरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,
 - (1) इस अधिसूचना में उल्लिखित , "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975(1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष, अध्याय से है ।
 - (2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या से संबंधित नियम, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोटस और सामान्य स्पष्टीकरण और टिप्पणियां भी शामिल है, इस अधिसूचना की व्याख्या के लिए भी लागू होंगे।

अनुबंध

शर्त सं.	शर्त
1	मोटर वाहन को पट्टाकर्ता ने 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसे 1 जुलाई, 2017 के पहले पट्टे पर दिया
	हो ।
2	i. मोटर वाहन का आपूर्ति कर्ता एक पंजीकृत व्यक्ति हो ।
	ii. ऐसा आपूर्तिकर्ता जिसने मोटर वाहन को 1 जुलाई, 2017 से पहले खरीदा हो और उसने उस पर भुगतान
	किये गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या अन्य कोई कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट न लिया हो ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

रूचि बिष्ट. अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 7/2017- Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 1297(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of cess as specified in column 4 of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), of the Table below, at the rate specified in corresponding entry in column (4) and subject to relevant conditions annexed to this notification, if any, specified in the corresponding entry in column (5) of the Table below:

TABLE

Sl.	Tariff item, sub- heading,	Description of	Rate	Condition
No.	heading or Chapter	Goods		No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8702, 8703	Motor Vehicles	65% of cess applicable otherwise on such goods under Notification No. 1/2017- Compensation Cess (Rate) dated, 28 th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (i), vide G.S.R. 720 (E) dated the 28 th June, 2017.	
2.	8702, 8703		65% of cess applicable otherwise on such goods under Notification No. 1/2017- Compensation Cess (Rate) dated, 28 th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (i), vide G.S.R. 720 (E) dated the 28 th June, 2017.	

2. Provided that nothing contained in this notification shall apply on or after1st July, 2020.

Explanation - For the purposes of this notification, -

- (i) "Tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).
- (ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	Condition
1	i. The Motor Vehicles was purchased by the lesser prior to 1 st July, 2017 and supplied on lease before 1 st July, 2017
2	i. The supplier of Motor Vehicle is a registered person.
	ii. Such supplier had purchased the Motor Vehicle prior to 1 st July, 2017 and has not availed input tax credit of central excise duty, Value Added Tax or any other taxes paid on such vehicles.

[F. No. 354/117/2017-TRU (Pt. III)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सं. 77/2017- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 1298(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, एतत द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 50/2017- सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जिसे सा.का. नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,

- (क) सारणी में,
- (i) क्रम सं0 212 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''212क	30	विनिर्दिष्ट निबंधनों के अध्यधीन	शून्य	शून्य	103;",
		यूनीसेफ, रेडक्रास या किसी अंतर्राष्ट्रीय			
		संगठन द्वारा निशुल्क आपूर्ति की जाने			